न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 56 / 21–22

वायपारी पहाड़िया बनाम् रैयान मौजा–जोलो पहाड़

–: आदेश :–

17.02.2023

वर्तमान वाद आवेदक वायपारी पहाड़िया, पे0–स्व0 बली पहाड़िया, सा0–जोलो पहाड़, थाना व अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा– जोलो पहाड़ नं0–32 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–271 / रा0, दिनांक–13.04.2022 एवं पत्रांक–842 / रा0, दिनांक–07.11.2022 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि पूर्व प्रधान स्व0 बली पहाड़िया की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उक्त प्रधानी पद रिक्त है। आवेदक वायपारी पहाड़िया पूर्व प्रधान के एक मात्र पुत्र हैं। उक्त के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–06 के तहत् आवेदक वायपारी पहाड़िया, पे0–स्व0 बली पहाड़िया, सा0–जोलो पहाड का रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–जोलो पहाड़ नं0–32 का प्रधान आवेदक वायपारी पहाड़िया, पे0–स्व0 बली पहाड़िया, सा0–जोलो पहाड को नियुक्त किया जाता है।

अतः नवनियुक्त प्रधान वायपारी पहाड़िया, पे0–स्व0 बली पहाड़िया, सा0–जोलो पहाड को आदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(Sd) 17.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

(Sd) 17.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.17 15:00:27 +05:30
Location: 192.168.8.116

F/Order.